संविधान

असम भोजपुरी सम्मिलन

मुख्य कार्यालय - **माजरआटी, नगाँव, असम**

स्थापित - **8 अगस्त, 2018**

জয় আই অসম

जय हिन्द

All rights strictly reserved by the Sammilan and no reproduction in any form of this constitution is allowed without State Executive or General Meeting Resolution.

First Edition - Jan'2020

Publisher -
ASSAM BHOJPURI SAMMILAN
www.assambhojpurisammilan.org

पहली बार का निवेदन

सन 2018 में स्थापित **असम भोजपुरी सम्मिलन** के संचालन हेतु संविधान निर्माण के लिए गठित इस समिति ने जनवरी 2020 में अपना पहला संस्करण पूर्ण किया है। इसमें त्रुटि-सुधार एवं संशोधन हेतु सुझाव आमंत्रित हैं।

संविधान समिति -

सुदामा चौहान, Advocate, G.H.C
सूरज चंद्र चौहान, Retd. Professor
सोहन लाल यादव, Professor
नरेन्द्र प्रकाश चौहान, Activist
रामकृष्ण चौहान, Advocate

विषय सूची

क्रम *Page*

प्रथम अध्याय **5**

परिचय, लक्ष्य, उद्देश्य

द्वितीय अध्याय **6**

नाम, सीमा, प्रतीक चिह्न आदि

तृतीय अध्याय **7**

कार्यकलाप, प्रचार-प्रसार, संशोधन आदि

चौथा अध्याय **8**

सदस्यता, सदस्यता शुल्क, कार्यकाल आदि

पाँचवाँ अध्याय **9**

सांगठनिक स्थिति, केन्द्रीय समिति की क्षमता आदि,
जिला समिति, महानगर समिति के विवरण आदि,
महकमा समिति, आंचलिक समिति के विवरण

छठा अध्याय **12**

केन्द्रीय पदाधिकारी की कार्य एवं क्षमता,
महासचिव, सचिवों की कार्य एवं क्षमता आदि

सातवाँ अध्याय **14**

हिसाब परीक्षक, सभा की नियम-नीति

आठवाँ अध्याय **15**

खाली पद पूर्ति, पूंजी, शुल्क, चुनाव आदि

ooo

प्रथम अध्याय

1. **परिचय (Introduction)**

वृहत् असमिया जाति के गठन के लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध होकर समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ भ्रातृत्व की भावना को बनाये रखकर सामाजिक न्याय के हित में असम की उन्नति एवं शान्ति के लिये प्रतिबद्ध होकर अपने भोजपुरी भाषी समुदाय की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भाषा, संस्कृति के विकास एवं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से असम में निवास करनेवाले युवा, छात्र, महिला, मजदूर, बुद्धिजीवी नागरिकों को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से "असम भोजपुरी सम्मिलन" नामक एक गैर राजनैतिक संगठन का 08/08/2018, भंगागढ़ हिन्दी विद्यालय, गुवाहाटी में गठन किया गया।

2. **लक्ष्य (Aim)**

अपने समाज के विकास के साथ-साथ असम तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास ही असम भोजपुरी सम्मिलन का प्रधान लक्ष्य है।

3. **उद्देश्य (Objectives)**

क) अपने समुदाय के लोगो को संगठित कर शिक्षा, आधुनिक कृषि के क्षेत्र में अग्रसर करना तथा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्य करना।
ख) सभी समुदायों की भाषा संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखते हुए अपनी भाषा-संस्कृति के विकास हेतु कार्य करना।
ग) समाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य करना।
घ) एकता, राष्ट्रीयता, एवं शान्ति-सद्भाव बनाए रखने हेतु लोगो में जागरूकता पैदा करना।
ङ) बेरोजगार, असहाय किसान, मजदूर, वृद्ध महिला और बच्चों तथा अपाहिजों की समस्याओं के समाधान एवं सहायता हेतु कार्य करना।
च) प्राकृतिक आपदा के समय बचाव एवं सहयोग हेतु कार्य करना।
छ) पीड़ित, शोषित लोगों को न्याय दिलाने हेतु कार्य करना।
ज) शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापना करना।
झ) स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाये रखने हेतु लोगो में जागरूकता पैदा करना।
ञ) युवाओं के सम्पूर्ण विकास हेतु खेल-कूद का आयोजन करना।
ट) जीव जानवर के सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।

द्वितीय अध्याय

4. क) संविधान - यहाँ संविधान का मतलब असम भोजपुरी सम्मिलन का संविधान।

ख) नाम - **असम भोजपुरी सम्मिलन**
অসম ভোজপুৰী সম্মিলন
ASSAM BHOJPURI SAMMILAN

ग) कार्यालय - वर्तमान मुख्य कार्यालय, माजरआटी (नगाँव) में है, जरूरत पड़ने पर सम्मिलन के निर्णायानुसार राजधानी या अन्य जगहों पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

घ) सीमा - वर्तमान असम की भौगोलिक सीमा ही सम्मिलन का कार्य क्षेत्र होगा। जरूरत पड़ने पर सम्मिलन के निर्णायानुसार विस्तार किया जा सकता है।

ङ) प्रतीक चिह्न - दो वृत्त के भीतर ऊपर असमिया में '**অসম ভোজপুৰী সম্মিলন**' और नीचे हिन्दी में '**असम भोजपुरी सम्मिलन**', वृत्त के बीच में असम का मानचित्र (हरा रंग में) छपा रहेगा। मानचित्र के ऊपर 'Estd. 2018' और नीचे 'संघे शक्ति कलियुगे', तथा दोनों वृत्त के बीच में दो तारे रहेंगे।

च) झंडा - शान्ति के प्रतीक सफेद कपड़े में सम्मिलन का प्रतीक चिह्न अंकित झंडा ही सम्मिलन का झंडा होगा।

छ) रंग - समृद्धि और खुशहाली को दर्शाने वाले हरे और गुलाबी रंग ही 'प्रतीक चिह्न' या सम्मिलन के नामकरण में प्रयोग होंगे।

ज) भाषा - असमिया, भोजपुरी, हिन्दी, अंग्रेजी बोल-चाल तथा लिखावट में प्रयोग होंगे। जरूरत पड़ने पर अन्य भाषा का भी प्रयोग सम्मिलन के निर्णय के अनुसार हो सकता है।

तृतीय अध्याय

5. **सम्मिलन के कार्यकलाप :** अपने समुदाय के लोगो के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा अस्तित्व की सुरक्षा हेतु गणतांत्रिक नियमानुसार प्रतिवाद कार्य करना। जरूरत पड़ने पर माननीय न्यायालय, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग तथा मानवाधिकार आयोग में भी अपनी माँगे पेश कर सकेगा।

6. **प्रचार-प्रसार :** सम्मिलन के कार्यक्रमों एवं सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट पत्रिका, पोस्टर, दीवार लेखन, हैन्डबील आदि द्वारा किया जायेगा।

7. **मुकदमा :** सम्मिलन के ऊपर कोई मामला (केस) दर्ज होता है तो अध्यक्ष, सचिव या सम्मिलन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करेगा। व्यक्तिगत दोष/गलती हेतु कोई भी सदस्य खुद जवाबदेही होगा।

8. **पंजीकरण :** सम्मिलन एक गैर राजनैतिक, सामाजिक संगठन है। आम सभा, प्रतिनिधि सभा, अधिवेशन में लोगो की उपस्थिति एवं निर्णय ही इसके पंजीयन के रुप में माना जाता हे। जरूरत पड़ने पर केन्द्रीय समिति के निर्णय के मुताबिक पंजीयन किया जा सकता है।

9. **संविधान संशोधन :** सम्मिलन के संविधान संशोधन हेतु केन्द्रीय समिति में प्रस्ताव पारित कर, अधिवेशन या आम सभा में 2/3 सदस्यों के समर्थन से संविधान का संशोधन होगा। इसके लिये सभापति के निर्देशानुसार 10 रोज पहले सूचना दी जायेगी।

10. **राजनैतिक अधिकार :** सम्मिलन अपने समुदाय के बृहत्तर स्वार्थ हेतु सर्वसम्मति से कार्यकारिणी की सभा में राजनैतिक सिद्धान्त ग्रहण कर सकता है।

चौथा अध्याय

11. (क) **सदस्यता -**

असम में निवास करनेवाला अपने समुदाय का 18 वर्ष की उम्र या उससे ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक परिषद का सदस्य बन सकता है।

ख) **सदस्य के प्रकार -**

परिषद के सदस्य तीन प्रकार के होंगे:

1। प्राथमिक सदस्य

2। सक्रिय सदस्य

3। आजीवन सदस्य

ग) **सदस्यता शुल्क -**

1। प्राथमिक सदस्य - रु 100 (एक सौ रुपया)

2। सक्रिय सदस्य - रु 500 (पांच सौ रुपया)

3। आजीवन सदस्य - रु 1000 (एक हजार रुपया)

घ) **सदस्य का कार्यकाल -**

सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 (तीन) वर्षों का होगा। 3 वर्ष पूरा होने के पहले सदस्यता शुल्क देकर नवीकरण कराना होगा।

ङ) **सदस्यता समाप्ति -**

असामाजिक, असंवैधानिक या सम्मिलन विरोधी कार्य में लिप्त सदस्य की सदस्यता खारिज होगी अथवा कोई स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है।

च) **सदस्य संबंधी तथ्य -**

सभी प्रकार के सदस्यों के लिए उनके पूरे विवरण के साथ एक रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी।

पाँचवाँ अध्याय

12. **सांगठनिक स्थिति -** सम्मिलन की सांगठनिक स्थिति शक्तिशाली बनाने हेतु 4 तथा क्षमता के विकेन्द्रीकरण हेतु इसे 4 (चार) भागो में बाँटा गया है।

(क) 1। प्रांतीय या केन्द्रीय समिति
2। जिला समिति
3। आंचलिक समिति
5। गाँव या मुहल्ला समिति

(ख) अवधि- सभी समितियों का गठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया जायेगा और इसकी अवधि (कार्यकाल) तीन साल की होगी।

(ग) केन्द्रीय समिति- असम के भिन्न-भिन्न भागो या जिलों से आये प्रतिनिधि या सक्रिय सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से केन्द्रीय समिति का गठन होगा। जिला तथा महकमा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव केन्द्रीय समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

(घ) सलाहकार समिति- महिला समाजसेवी, बुद्धिजीवी, कानूनविद की एक सलाहकार समिति होगी।

13. **समितियों के विवरण -**

क) केन्द्रीय समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य:

अध्यक्ष	-	1
उपाध्यक्ष	-	3
महासचिव	-	2
सचिव	-	3
वित्त सचिव	-	1
शिक्षा सचिव	-	2
सांगठनिक सचिव	-	2
प्रचार सचिव	-	2
किसान सचिव	-	2
क्रीड़ा सचिव	-	2
मजदूर सचिव	-	2
सांस्कृतिक सचिव	-	2
कार्यालय सचिव	-	1
कार्यकारिणी सदस्य	-	24
कुल	-	49

ख) केन्द्रीय कार्यकारिणी की क्षमता- प्रांतीय या केन्द्रीय कार्यकारिणी ही असम भोजपुरी सम्मिलन की सांगठनिक दिशा में सर्वोच्च शक्तिशाली होगी। केन्द्रीय समिति किसी भी समिति के पदाधिकारी या

सदस्यों की संख्या घटा-बढ़ा सकती है या किसी भी समिति को भंग कर सकती है। किसी को भी कारण बताओ नोटिस या वरखास्तगी कर सकती है।

ग) अपने समुदाय के हित में लिए गए प्रस्ताव, कार्यक्रम आदि पर अमल हेतु. रचनात्मक कदम उठायेगी।

घ) केन्द्रीय समिति का सिद्धान्त ही सर्वोपरि होगा।

14. क) **जिला समिति -** जिले के विभिन्न हिस्सों के सदस्यों को लेकर जिला समिति का गठन होगा। केन्द्रीय समिति की निर्देशावली को जिला समिति मान कर चलेगी और उस पर अमल करेगी। महकमा के अध्यक्ष एवं सचिव इसके स्थायी सदस्य होंगे।

ख) जिला समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य –

अध्यक्ष	-	1
उपाध्यक्ष	-	2
महासचिव	-	1
सचिव	-	2
शिक्षा सचिव	-	1
सांगठनिक सचिव	-	1
प्रचार सचिव	-	1
किसान सचिव	-	1
क्रीड़ा सचिव	-	1
मजदूर सचिव	-	1
सांस्कृतिक सचिव	-	1
कार्यालय सचिव	-	1
कार्यकारी सदस्य	-	15
कुल	-	29

ग) **सलाहकार समिति -** बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी नागरिकों की एक सलाहकार समिति होगी। जिसकी संख्या जिला समिति निर्धारित करेगी।

15. **महानगर समिति -** सम्मिलन के निर्णय के सफल कार्यान्वयन तथा जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक महानगर समिति का भी गठन किया जायेगा इसका कार्यकाल तीन साल का होगा। समिति के सदस्यों की संख्या तथा अन्य कार्य केन्द्रीय समिति निर्धारित करेगी। एक सलाहकार समिति भी होगी।

16. क) **महकमा समिति -** महकमा के अंतर्गत विभिन्न अंचलों के सदस्यों द्वारा इस समिति का गठन होगा। आंचलिक समिति के सचिव एवं अध्यक्ष इसके स्थायी सदस्य होंगे।

ख) वरिष्ठ नागरिक तथा बुद्धिजीवियों की एक सलाहकार समिति होगी।

ग) केन्द्रीय समिति के दिशा निर्देश को मानकर चलना होगा। नए कार्य हेतु केन्द्रीय समिति का अनुमोदन लेना होगा।

17. क) **आंचलिक समिति -** समिति के अंतर्गत गाँव तथा मोहल्ले से आये सदस्यों को लेकर आंचलिक समिति का गठन होगा। इसका दायरा जिला समिति निर्णय करेगी।
    ख) आंचलिक समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य –

अध्यक्ष	-	1
उपाध्यक्ष	-	1
सचिव	-	1
शिक्षा सचिव	-	1
किसान सचिव	-	1
मजदूर सचिव	-	1
क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव	-	1
सदस्य	-	10
कुल	-	17

    ग) इस समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। केन्द्रीय, जिला, महकमा समितियों के निर्देशानुसार आंचलिक समिति काम करेगी।
    घ) वरिष्ठ नागरिकों की एक सलाहकार समिति होगी जिसकी संख्या पाँच तक होगी।

18. क) **गाँव या मोहल्ला समिति -** लोगों में जागरुकता पैदा करने तथा परिषद की कार्य प्रणाली के सुचारु रुप से कार्यान्वयन हेतु गाँव या मोहल्ला समिति का भी गठन किया जायेगा।
    ख) इसकी कार्यकारिणी की कुल संख्या 11 होगी। इसके सभी कामकाज जिला समिति के निर्देशानुसार ही होगा और इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

19. क) सभी समितियों का अधिवेशन या आम सभा बुलाने से पहले या धरना, जुलूस निकालने हेतु केन्द्रीय समिति से अनुमति लेना होगा। विवादित या जटिल कोई भी कार्य शुरु करने से पहले केन्द्रीय समिति को जानकारी देना होगा या अनुमति लेना होगा।
    ख) आम सभा या अधिवेशन बुलाने हेतु सभी समितियाँ स्वागत समिति गठन कर सकती है।

छठा अध्याय

केन्द्रीय समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों के कार्य एवं क्षमता -

20. **सभापति/अध्यक्ष -** केन्द्रीय समिति असम भोजपुरी सम्मिलन के अध्यक्ष ही सर्वोच्च क्षमतावान सम्माननीय व्यक्ति है। अध्यक्ष को सभी आलोचनाओं का जवाब देना होगा। किसी को भी पर्यवेक्षक मध्यस्थता कारी या परिषद के प्रतिनिधित्व हेतु अध्यक्ष चुनाव या मनोनीत करेगा। अध्यक्ष महासचिव के साथ बात-चीत कर परिषद के हित में किसी को भी निलंबित, मनोनीत या पदोन्नत कर सकता है। महासचिवों के साथ बात-चित के जरिये सभी प्रकार के कार्यकारी निर्देश अध्यक्ष देंगे तथा किसी भी समिति को भंग; पुनर्गठन, गठन या अनुमोदन करने के सवाल पर अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि होगा।

21. **उप-सभापति -** सभापति के अनुपस्थिति पर सभा का संचालन उप-सभापति करेंगे। सभापति के निर्देशानुसार उनकी क्षमता उप-सभापति प्रयोग कर सकेंगे। उप-सभापति पर्यवेक्षक के रुप में अन्य समितियों की देख-रेख कर सकेंगे। अध्यक्ष को सभी सांगठनिक दिशा में उप-सभापति सहयोग करेंगे।

22. **महासचिव -** सम्मिलन के महासचिव गण सांगठनिक दिशा में सर्वोच्च सांगठनिक क्षमता वाले व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष के साथ बात-चीत कर जरूरी सभा, आम सभा, अधिवेशन बुलवा सकते हैं। सम्मिलन के सभी समिति या पदाधिकारियों या सदस्यों को सांगठनिक निर्देश महासचिव देंगे। सांगठनिक आलोचनाओं का जवाब महासचिव को देना होगा। सभापति के निर्देशानुसार सम्मिलन का हिसाब, कागजात, सील-मोहर, प्रमाण पत्र आदि महा सचिवों को देख-रेख करना होगा। सम्मिलन का कार्यविवरण (प्रतिवेदन) सभापति से अनुमोदन लेकर सम्पादकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। गुरुत्व पूर्ण विषय या किसी के निलंबन, मनोनीत या पदोन्नति समिति भंग या गठन हेतु अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श कर निर्णय ले सकेंगे। महासचिव सभापति की अनुमति के अनुसार सम्मिलन का प्रतिनिधित्व या पर्यवेक्षक की नियुक्त कर सकेंगे। सचिव प्रयोजनवश 2500 सौ नगद रकम अपने हाथ में रख सकते हैं। उनको सभी कार्य के लिए अध्यक्ष से अनुमोदन लेना होगा।

23. **सचिव -** महासचिव की अनुपस्थिति में सचिव उनकी क्षमता के अधिकारी होंगे। सचिव, महासचिव के सभी सांगठनिक कार्यों में सहयोग देंगे। केन्द्रीय समिति के प्रतिनिधि के रुप में सभी समितियों के काम-काज का जायजा लेंगे और दिशा निर्देश देंगे।

24. **वित्त सचिव -** वित्त सचिव के पास पूंजी एवं सभी प्रकार का लेनदेन का हिसाब किताब रहेगा।

25. **सांगठनिक सचिव -** परिषद के सभी प्रकार के सांगठनिक कार्य संपादन करेंगे। सांगठनिक सचिव के अनुरोध या परामर्श के अनुसार अध्यक्ष तथा महासचिव विभिन्न अंचलों में सभा, समिति करेंगे। महासचिव, सचिव की अनुपस्थिति में उनका कार्य कर सकेंगे।

26. **कार्यालय सचिव -** कार्यालय संबंधी सभी कार्य कार्यालय सचिव करेंगे। अध्यक्ष तथा महासचिवों के कार्य में सहयोग देंगे।

27. **प्रचार सचिव -** सम्मिलन के कार्यक्रम, सिद्धांतों सफलताओं के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्य करेंगे।

28. **शिक्षा सचिव -** शिक्षा के विकास हेतु सभी रकम का कार्यक्रम एवं शिक्षा आयोजन करेंगे।

29. **क्रीड़ा सचिव -** क्रीड़ा सचिव बौद्धिक एवं शारीरिक विकास हेतु, समय समय पर विभिन्न प्रकार के खेल-कूद विभिन्न जगहों पर आयोजन करेंगे।

30. **सांस्कृतिक सचिव -** सांस्कृतिक सचिव अध्यक्ष या महासचिव से बातचीत कर किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।

31. **किसान सचिव -** कृषि एवं किसान के विकास हेतु सभी प्रकार के कार्य करण एवं जानकारी हेतु जरूरतमंद कार्य करेंगे।

32. **मजदूर सचिव -** मजदूर की सुरक्षा एवं विकास हेतु जरूरतमंद जानकारी एवं कार्य करण आयोजन करेंगे।

33. **हिसाब परीक्षक -** केन्द्रीय समिति या अन्य समितियों के हिसाब-किताब की जाँच करने हेतु हिसाब परीक्षक की नियुक्ति परिषद करेगी।

34. **सलाहकार -** सभी स्तर की समितियों में एक सलाहकार समिति होगी। उपदेष्टा या सलाहकार समिति सम्मिलन की कार्य प्रणाली की सफलता हेतु दिशा परामर्श तथा आंतरिक विवाद मीमांसा हेतु सलाह देंगे। सम्मिलन के वृहद स्वार्थ हेतु, सभा में भाग लेकर अपने विचार प्रकट करेंगे।

35. **Emergency** निर्णय हेतु 5/7 लोगों की एक कर्णधार समिति होगी।

सातवाँ अध्याय

36. **सभा का नियम -**

क) सम्मिलन की सभी कार्यकारिणी की सभा महासचिव और जिला सचिव आह्वान करेंगे। सभा का स्थान दिन समय का निर्धारण अध्यक्ष के साथ बातचीत कर करेंगे। सभा के समय के पाँच दिन पहले निमंत्रण पत्र देना होगा। प्रयोजनवश प्रेस विज्ञप्ति द्वारा भी जानकारी दी जा सकती है। प्रति तीन माह के अंतर पर सभा का आयोजन होना पड़ेगा। सचिव जरूरी या विशेष सभा सभापति से बातचीत कर बुला सकेंगे। सभा में पारित प्रस्ताव का समितियां पालन करेंगी। सभापति सभा स्थगित या आगामी सभा बुलाने का निर्देश देंगे। परिषद के अनुमोदित प्रस्ताव या कार्य के वारे में पुलिस प्रशासन को जानकारी देनी होगी।

ख) **जरूरी सभा -** जरूरी सभा तीन दिन के भीतर आयोजन किया जा सकता है।

ग) **प्रतिनिधि सभा -** 15 दिन पहले सूचना जारी कर अध्यक्ष और महासचिव संयुक्त रुप से सलाहकार, अध्यक्ष, पदाधिकारी गण और केन्द्रीय समिति के सदस्य को ले कर प्रतिनिधि सभा का आयोजन होगा। इस सभा में कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा जिला समितियाँ भी बुला सकेगी।

घ) **आम सभा या अधिवेशन -** प्रत्येक साल के अंत में हर समिति को आम सभा या अपना अधिवेशन बुलाना होगा। इस सभा में पदाधिकारी, सदस्य सलाहकार एवं अतिथि भाग लेंगे। इसमें सचिवों को कार्य विवरणी पाठ करना होगा। इस सभा में समिति का गठन, या पूर्ण गठन या समिति भंग भी हो सकती है।

ङ) **सभा का कोरम -** परिषद के सभी पर्याय की समिति की कुल सदस्यों की 1/3 की उपस्थिति को सभा कोरम माना जाएगा। कोरम नहीं होने पर सभा स्थगित किया जाएगा।

37. **रजिस्ट्रेशन -** एक ट्रस्ट बोर्ड या समिति का रजिस्ट्रेशन करना होगा Society Act के अधीन।

38. **बैंक अकाउंट -** सरकारी बैंकों में सम्मिलन के नाम से एक बैंक अकाउंट का व्यवस्था हो।

आठवाँ अध्याय

39. **खाली पद पूर्ति -** खाली पद पूर्ति हेतु अध्यक्ष पदाधिकारी या सदस्य की नियुक्ति करेंगे।

40. क) **धन, पूंजी -** सम्मिलन सदस्यता शुल्क, दान/चंदा, सरकार से या कोई संगठन से अनुदान लेकर अपनी पूंजी का गठन करेगा। सभा, अधिवेशन आयोजन, प्राकृतिक आपदा में सहायता हेतु सम्मिलन लोगो से दान/चंदा ले सकेगा।
    ख) **पूंजी का व्यवहार -** सम्मिलन अपनी पूंजी सम्मिलन के नाम बैंक में खाता खोल कर जामा करेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं सचिव संयुक्त रूप से करेंगे। ऐसा कार्य अन्य समितियों को भी करना होगा। राशि के बारे में समिति को समय समय पर जानकारी देनी होगी।
    ग) **धन का भाग -** संग्रह धन या चंदा के भाग के वारे में केन्द्रीय समिति निर्णय लेंगी।

41. **सदस्यता शुल्क का भाग निम्नलिखित होगा -**

क)	आंचलिक समिति का	- 20%
	महकमा और जिला समिति का	- 30%
	केन्द्रीय समिति का	- 50%

42. **सम्पत्ति का अधिकार -** सम्मिलन के नाम से चल या अचल सम्पत्ति खरीद-फरोख्त समिति कर सकती है।

43. **चुनाव -** सभी प्रकार के चुनाव सुचारु रुप से सम्पन्न करने हेतु केन्द्रीय समिति पर्यवेक्षक या चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी। सभी सदस्य का बराबर के मतदान का अधिकार होगा। अध्यक्ष का वीटो (**Veto**) क्षमता होगा। चुनाव का दिशा निर्देश केन्द्रीय समिति देगी। सभी समितियाँ तीन साल पूरा होने से पहले समिति के सदस्यों का चयन कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नई समिति का गठन करना होगा।

44. समय के परिवर्तन और जरूरतमंद विषयों पर केन्द्रीय समिति कोई भी निर्णय ले सकेगी।

केन्द्रीय समिति
असम भोजपुरी सम्मिलन